

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक—

पटना, दिनांक—26.02.26

सं०सं०-06/स०/विविध (उद्यमी एवं व्यवसायी)-09/25-1108

प्रेषक,

निदेशक (ह० एवं रे०),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा:—

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:—

बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा आवंटित वाहनो के परिचालन के विरुद्ध राशि रू० 13,68,559/- (तेरह लाख अड़सठ हजार पांच सौ उनसठ रू०) मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:—

स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अन्य आयोगों के भांति वाहन की सुविधा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति के उपरांत बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा आवंटित वाहन संख्या-BR01HV-2643 एवं वाहन संख्या-BR01PN-6167 के परिचालन के विरुद्ध प्राप्त विपत्रों की कुल राशि रू० 13,68,559/- (तेरह लाख अड़सठ हजार पांच सौ उनसठ रू०) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार के उद्यमी एवं व्यवसायी को उचित प्रतिनिधित्व एवं राज्य के उद्योग एवं व्यापार से संबंधित कठिनाईयों के समाधान हेतु उद्योग विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक-294 दिनांक-26.02.2014 द्वारा बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का गठन किया गया है। बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

3. उक्त राशि 13,68,559/- (तेरह लाख अड़सठ हजार पांच सौ उनसठ रू०) मात्र का व्यय माँग सं०-23 के मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-00-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0067-बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग एवं उद्योग विभाग के अग्रसरण हेतु विपत्र कोड -23-2052-00-090-0067, विषय शीर्ष-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में मूल बजट उपबंध से होगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में यथेष्ट बजट उपबंधित है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी BTC-46 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना के पी०एल० खाता सं०-PBBPLA018 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना के द्वारा उक्त स्वीकृत राशि को बिहार राज्य पर्यटन विकास नि० लिमिटेड, पटना के HDFC Bank A/c No. 50100339862627 में NEFT/CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

5 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना इस राशि का व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसे नियमानुसार महालेखाकार बिहार, पटना को भेजा जायेगा।

6. इस राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561/वि(2) दिनांक-17.04.1998 के कंडिका-2 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वित्त विभागीय परिपत्र सं०-7355/वि(2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उपर्युक्त स्वीकृति के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग की सहमति संचिका 06/स०/विविध (उद्यमी एवं व्यवसायी)-09/25-के पृ० सं०-30/टि० पर दिनांक-12.02.2026 को प्राप्त है।

9. उपर्युक्त स्वीकृति के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं०सं०-06/स०/विविध (उद्यमी एवं व्यवसायी)-09/25-के पृ० सं०-31/टि० पर दिनांक-18.02.2026 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विद्या नन्द सिंह)

निदेशक (ह० एवं रे०),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना/दिनांक-

सं०सं०-06/स०/विविध (उद्यमी एवं व्यवसायी)-09/25-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (ह० एवं रे०),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना/दिनांक-

सं०सं०-06/स०/विविध (उद्यमी एवं व्यवसायी)-09/25-

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना को सभी मूल विपत्रों के साथ भुगतान हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (ह० एवं रे०),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1108

पटना/दिनांक- 26.02.26

सं०सं०-06/स०/विविध (उद्यमी एवं व्यवसायी)-09/25-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/सचिव(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/उद्योग निदेशक-सह-सदस्य सचिव/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सचिव के निजी सहायक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव सचिव, प्रशाखा-1 (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्धक परिवहन, बिहार राज्य पर्यटन विकास नि० लिमिटेड, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

IT MANAGER

11

निदेशक (ह० एवं रे०),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना